

पत्रांक - ०६ सेरी०/लेखा/आयो० बजट/2017-18

रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश

एल०डी०ए० कामर्शियल काम्पलेक्स, प्रथमतल,

विश्वासखण्ड - 3 गोमतीनगर - लखनऊ।

दिनांक::लखनऊ:: ४ जून, 2017

आहरण वितरण अधिकारी

वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, गोण्डा, बहराइच,
लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, मेरठ, औरैया, सहारनपुर,
झांसी, कानपुर नगर, फतेहपुर, सोनभद्र।


रेशम विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-8/2017/156/74-2-2016-11(ब)/2017 दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान सं०-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय हेतु कुल प्रावधानित धनराशि रू० 2421.89 लाख के सापेक्ष प्रथम पाँच माह हेतु (अप्रैल से अगस्त, 2017) हेतु लेखानुदान रू० 960.91 लाख (रूपये नौ करोड़ साठ लाख इक्यानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन के पश्चात अवशेष धनराशि रू० 1,15,46,500/- में से रू० 26,73,500.00 (रूपये छब्बीस लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ मात्र) का आवंटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है:-

1. जिन मदों में धनराशि आवंटित की जा रही है उन्ही मदों में धनराशि का व्यय की जाय अर्थात् किसी भी स्थिति में मद परिवर्तन न किया जाय।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व एसी स्वीकृति/सहमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
3. आवंटित धनराशि का नियमानुसार, जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अथवा प्रतिनिधायन की सीमा के अन्तर्गत व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
4. प्रत्येक मद में आवंटित धनराशि की सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय और इसका ध्यान रखा जाय कि दायित्वों का सृजन किसी भी दशा में न होने पाये, यदि किसी प्रकार का ऋणात्मक व्यय किया जाता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
5. शासन द्वारा समय-समय पर मितव्ययता से संबंधित निर्गत निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

6. यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व ही (माह फरवरी 2018 के अन्तिम सप्ताह) निश्चित रूप से निदेशालय को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. आवंटित की जा रही धनराशि का भुगतान संबंधित को नियमानुसार उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से E-Payment ही किया जाए।
8. आवंटित धनराशि का उपयोग वास्तविकता के आधार पर किया जाए तथा किसी भी दशा में कोषागार से धनराशि आहरित कर बैंक खाते में न रखा जाए। यदि इस प्रकार का प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
9. आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग अपने से संबंधित जनपदों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए व्यय किया जाए।

आवंटित धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं०-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन एवं प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय रेशम निदेशालय के नामे डाला जायेगा। इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं०-10 के वर्ष 2017-18 के आवंटन पंजिका के पृष्ठ-05 पर कर ली गई है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


 14/6/17
 (कृपा शंकर पाण्डेय)
 निदेशक(रेशम)

पत्रांक 06 सेरी०/लेखा/आयो० बजट/2017-18 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15-थानीहिल रोड, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, मेरठ, औरैया, सहारनपुर, झांसी, कानपुर नगर, फतेहपुर, सोनभद्र।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
5. सहायक निदेशक, मिर्जापुर, महाराजगंज
6. व्यय सहायक, मुख्यालय-लखनऊ।
7. वरिष्ठ आडिटर, मुख्यालय लखनऊ।
8. प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त को वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल कर दे।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


 (पी०सी० चौधरी)
 वित्त नियंत्रक

पत्रक 66 / संशोधन/आयुक्त/2017-18 दिनांक: 14 जून, 2017 का अनुसूचक
 अनुसूचक सं- 10- कृषि तथा अन्य समृद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)
 2851- ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग -001 -निर्देशन तथा प्रशासन- आलोचनेतर
 03-अतिरिक्त व्यय, रेशम निदेशालय के अन्दरगत वर्ष 2017-18 के प्रथम पाँच माह हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

(धनराशि रु. में)

क्र.सं.	आहरण एवं वितरण अधिकारी का पदनाम	जनपद	कोषागार का नाम	आवंटित धनराशि										योग	पूर्व से योजना के अन्दरगत आवंटित धनराशि का योग	प्रणामी योग						
				मात्र व्यय	मास्य व्यय	कार्यालय व्यय	विद्युत व्यय	जल कच/	लोकन	कार्यालय फर्निचर एवं उपकरण	व्यय का अनुसूचक और प्रवेदन कच भुगतान शक्ति	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	किराया, उपयुक्त और कर स्वामित्व				अनुसूचक	अन्य व्यय	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रारम्भिक व्यय	काम्युटर अनुसूचक/तत्सम्बन्धी स्टेनोग्राफी का कच	शिक्षित व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	उप निदेशक (रेशम)	वाराणसी	वाराणसी	10000	1500	10000	5042	0	6000	6000	7000	25000	0	0	12000	7000	5000	5000	25000	124542	9350000	9548042
2	सहायक निदेशक(रेशम)	मिर्जापुर	वाराणसी	15000	1500	15000	0	0	2500	2500	0	25000	0	0	5000	7000	0	0	0	73500	0	9350000
3	उप निदेशक (रेशम)	गोरखपुर	गोरखपुर	10000	1500	10000	23800	0	6000	6000	7000	0	0	0	12000	7000	5000	5000	25000	118300	4950000	5226919
4	सहायक निदेशक(रेशम)	महाराजगंज	गोरखपुर	15000	1500	15000	87119	0	2500	2500	0	25000	0	0	5000	7000	0	0	0	160619	0	4950000
5	सहायक निदेशक(रेशम)	कुशीनगर	कुशीनगर	15000	1500	15000	112146	0	6000	6000	7000	25000	0	0	12000	7000	5000	5000	25000	241646	3300000	3541646
6	सहायक निदेशक(रेशम)	बस्ती	बस्ती	15000	1500	15000	0	0	6000	6000	7000	25000	0	0	12000	7000	5000	5000	25000	129500	3850000	3979500
7	सहायक निदेशक(रेशम)	गोवडा	गोवडा	15000	1500	15000	0	0	6000	6000	7000	25000	0	0	12000	7000	5000	5000	25000	129500	5800000	5855500
8	सहायक निदेशक(रेशम)	बाएँको	गोवडा	5000	1000	5000	0	0	2500	2500	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	26000	0	5855500
9	सहायक निदेशक(रेशम)	बहावलपुर	बहावलपुर	15000	1500	15000	45977	0	6000	6000	7000	25000	0	0	12000	7000	5000	5000	25000	175477	4400000	4575477
10	सहायक निदेशक(रेशम)	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर खीरी	15000	1500	15000	48146	0	6000	6000	7000	25000	0	0	12000	7000	5000	5000	25000	177646	2750000	2527646
11	सहायक निदेशक(रेशम)	पौलीभौत	पौलीभौत	15000	1500	15000	140255	0	6000	6000	7000	25000	0	0	12000	7000	5000	5000	25000	269755	4730000	5019755
12	सहायक निदेशक(रेशम)	मुण्डाबाद	पौलीभौत	5000	0	5000	0	0	2500	2500	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	20000	0	5019755
13	सहायक निदेशक(रेशम)	मेरठ	मेरठ	15000	1500	15000	18339	0	6000	6000	7000	25000	0	0	12000	7000	5000	5000	25000	147839	4400000	4547839
14	सहायक निदेशक(रेशम)	सहारनपुर	सहारनपुर	15000	1500	15000	77225	0	6000	6000	7000	25000	0	0	12000	7000	5000	5000	25000	206725	3300000	3506725
15	सहायक निदेशक(रेशम)	अँरिया	अँरिया	15000	1500	15000	0	0	6000	6000	7000	25000	0	0	12000	7000	5000	5000	25000	129500	2750000	2879500
16	सहायक निदेशक(रेशम)	झाँसी	झाँसी	15000	1500	15000	10781	0	6000	6000	7000	25000	0	0	12000	7000	5000	5000	25000	140281	2750000	2890281
17	सहायक निदेशक(रेशम)	कानपुर नगर	कानपुर नगर	15000	1500	15000	0	0	6000	6000	7000	25000	0	0	12000	7000	5000	5000	25000	129500	4400000	4529500
18	सहायक निदेशक(रेशम)	फतेहपुर	फतेहपुर	15000	1500	15000	14170	0	6000	6000	7000	25000	0	0	12000	7000	5000	5000	25000	143670	2420000	2563670
19	सहायक निदेशक(रेशम)	सोनभद्र	सोनभद्र	15000	1500	15000	0	0	6000	6000	7000	25000	0	0	12000	7000	5000	5000	25000	129500	4070000	4199500
योग:-				255000	26500	255000	583000	0	100000	100000	105000	400000	0	0	195000	129000	75000	75000	375000	2673500	62920000	65593500

(रु. डब्बोंस लाल लिहलर द्वारा पाँच सौ मात्र)
 (पाठसोचिबरी)
 वित्त निदेशक

2	8	5	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---